न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 100/21

जगदीश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. अनोपकंवर पत्नि रतनसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर
2. भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गुमानसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. सोहनी पत्नि चुनाराम जाति जाट निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. देउ पत्नि धुडाराम जाति जाट निवासी अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री ज्ञानाराम एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. श्री गौतम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 ता 5

–: निर्णय :–

दिनांकः–14.12.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैः–कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 235 दौ सौ पेंतीस तादादी 1.8337 एक दशमलव आठ तीन तीन सात हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी की 500/18337 पांच सौ बट्टा अठारह हजार तीन सौ सेंतीस हिस्सा भूमि है जिसके उतर में 12 फुट चौडा रास्ता मंदिर तक, दक्षिण में राजकीय विधालय, पूर्व में सडक कातर से अमरसर व पश्चिम में दीपसिंह, खींवसिंह की खेडी है। जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादी ने दिनांक 15.08.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 5 पांच को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री ज्ञानाराम एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 की पहचान श्री गौतम सैनी एडवोकेट द्वारा की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस फरीकेन व वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा संख्या 235 तादादी 1.8337 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 0.0653 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब.हि.ब. संयुक्त नाम से व उसके चिपती दक्षिणी साईड की 0.0486 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 5 देउ के व उसके चिपती दक्षिणी साईड की 0.0486 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 सोहनी के व उसके चिपती दक्षिणी साईड की 0.0125 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब.हि.ब. संयुक्त नाम से व उसके चिपती दक्षिणी साईड की 0.0500 हेक्टेयर भूमि वादी जगदीश के व उसके चिपती दक्षिणी साईड की शेष भूमि तादादी 1.6087 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ब.हि.ब. संयुक्त नाम से अलग—अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने व राजीनामा अनुसार नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार पृथक—पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner